प्रेस विज्ञप्ति

26.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत विभिन्न स्थानों अर्थात दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र और कोलकाता में मैसर्स कैपरिकॉरनियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी और संबंधित संस्थाओं मैसर्स लक्ष्मीटन मैरीटाइम, मैसर्स हिंदुस्तान इंटरनेशनल, मैसर्स राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड, मैसर्स स्टवार्ट अलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स भाग्यनगर लिमिटेड, मैसर्स विनायक स्टील्स लिमिटेड, मैसर्स वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशकों/साझेदारों संदीप गर्ग, विनोद केडिया और अन्य के परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने विश्वसनीय जानकारी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि उक्त संस्थाएं बड़े पैमाने पर भारत के बाहर विदेशी मुद्रा भेजने में शामिल हैं और मैसर्स गैलेक्सी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर और मैसर्स होरिजन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर को 1800 करोड़ रुपए की संदिग्ध राशि बाह्य प्रेषण की गई हैं। इन दोनों विदेशी संस्थाओं का प्रबंधन किसी एंथनी डी सिल्वा द्वारा किया जाता है।

तलाशी के दौरान यह पाया गया कि मैसर्स कैपरिकॉरनियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स लक्ष्मीटन मैरीटाइम ने अपने सहयोगियों के साथ फर्जी माल ढुलाई सेवाओं, आयात की आड़ में सिंगापुर स्थित संस्थाओं को 1800 करोड़ रुपए की राशि बाह्य प्रेषण की हैं और शैल संस्थाओं जैसे मैसर्स नेहा मेटल्स, मैसर्स अमित स्टील ट्रेडर्स, मैसर्स ट्रिपल एम मेटल एंड अलॉयज, मैसर्स एचएमएस मेटल्स आदि की मदद से जटिल लेनदेन के जाल के माध्यम से उसे छुपाया गया।

तलाशी के दौरान, 2.54 करोड़ रुपए की अस्पष्टीकृत नकदी, जिसका कुछ अंश वॉशिंग मशीन में छिपा हुआ था, प्राप्त की गई तथा जब्त कर ली गई। इसके अलावा, विभिन्न आपराधिक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण पाए गए और तलाशी कार्रवाई के दौरान जब्त कर लिए गए। इसमें शामिल संस्थाओं के 47 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

SIEMENS